जिला कार्यक्रम अधिकारी, बिजनौर

जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क0सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	सम्पूर्ण जगत को रोगमुक्त एवं शिक्षित करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यक्रम की स्थापना की गयी, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा स्वास्थ्य जाँच एवं सन्दर्भत सेवायें, टीकाकरण वृद्धि निगरानी पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा अनुपूरक पोषाहार, 6 सेवायें 6 लाभार्थी समूह 0–1 वर्ष के बच्चे, 1–3 वर्ष के बच्चे, 3–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलायें, 15–45 वर्ष की महिलायें, 11–16 वर्ष की किशोरियों को प्रदान की जाती है, आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम का अन्तिम लक्ष्य शिशु/ बाल–मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर को कम करना है, इस कार्य में आंगनबाडी कार्यकत्री समुदाय तथा विभाग के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। बच्चो का स्वास्थ्य मानसिक, सामाजिक व शारीरिक विकास सुनिश्चित कर शक्तिशाली एवं गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। समाजोत्थान एवं भावी भविष्य के निर्माण में इससे अधिक पावन कर्मक्षेत्र और क्या होगा।
2	अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य	अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जो राज्य सरकार की नीतियों एवं आदेशों का पालन करके समस्त कार्यो को सम्पन्न कराते हैं।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	इस क्रम में निम्न कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविकायें, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियाँ एवं सहायिकायें आदि कार्यरत हैं। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय विकास भवन बिजनौर के समीप स्थित है।
4	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	जिला कार्यक्रम अधिकारी का पद सृजित है, जिनके नियन्त्रण में सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
5	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किए गए नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, सहायक मुख्य सेविका, आंगनबाडी कार्यकत्रियां, सहायिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं।

6	इस दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं, अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं, नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	इस विभाग को निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निर्देशन तथा जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिनके द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यो का अनुमोदन कराया जाता है।
8	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डो परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त कार्य प्रतिनिधित्व किये जाते हैं तथा सुझाव दिये जाते हैं, तद्नुसार जिला कार्यक्रम कार्यालय का संचालन किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका	इस विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक आंकडे, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते हैं।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	इस विभाग को बजट अपर निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जता है, जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारी को प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बन्धित हैं।	किशोरी शक्ति योजना, बालिका श्री योजना के अन्तर्गत बजट अपर निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसका नियमानुसार व्यय कर व्यय विवरण अपर निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ को भेजा जाता है।

13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ	शासन के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना करके 0–1 वर्ष के बच्चे, 1–3 वर्ष के बच्चे, 3–6 वर्ष के बच्चे गर्भवती एवं धात्री महिलायें, 15–45 वर्ष की महिलायें, 11–16 वर्ष की किशोरियों को स्कूल पूर्व शिक्ष, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं सन्दर्भ सेवायें, वृद्धि निगरानी पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, अनुपूरक पुष्टाहार आदि, गोष्ठियाँ एवं प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्य कराये जाते हैं।
14	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	विभाग द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती है। आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया से प्रचार प्रसार कराया जाता है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जनसूचना अधिकारी श्रीमती अजरा शरीफ जिला कार्यक्रम अधिकारी बिजनौर, सहायक जन सूचना अधिकारी श्रीमती मिथलेश शर्मा बाल विकास परियोजना अधिकारी मौ0पुर देवमल, श्रीमती रामप्यारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी बिजनौर शहर, श्रीमती हेमलता बाल विकास परियोजना अधिकारी जलीलपुर, श्री लालसा प्रसाद प्र0 बाल विकास परियोजना अधिकारी खारी झालू, श्रीमती विमला देवी, प्र0 बाल विकास परियोजना अधिकारी हल्दौर, श्रीमती बीना गोयल, बाल विकास परियोजना अधिकारी नूरपुर, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता बाल विकास परियोजना अधिकारी नहटौर, सुश्री उर्मिला देवी बाल विकास परियोजना अधिकारी धामपुर, श्री सीमान्त श्रीवास्तव बाल विकास परियोजना अधिकारी अफजलगढ़, श्रीमती रेखा अम्बेडकर प्र0 बाल विकास परियोजना अधिकारी नजीबाबाद, श्रीमती राकेश रानी, प्र0 बाल विकास परियोजना अधिकारी स्योहारा, श्रीमती अजरा शरीफ, बाल विकास परियोजना अधिकारी किरतपुर।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बिजनौर।

शासनादेश संख्याः 556/43–2–2008–15/02(3)/2007 टी0सी0,
दिनांक 06.06.2008 का संलग्नक

कार्यालय का नाम– कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बिजनौर।

क0सं0	विभाग तथा विभाग के नियन्त्रणाधीन/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगम/ उपक्रम/ परिषद/ बोर्ड/ संस्था का नाम	अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत तैयार कर बेबसाइड पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मेनुअल पूर्ण करने की तिथि
	बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बिजनौर अधीनस्थ कार्यालयः–	16	0	0
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी बिजनौर शहर			
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी मौ0पुर देवमल			
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी हल्दौर			
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी खारी झालू			
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी नहटौर			
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी नूरपुर			
7	बाल विकास परियोजना अधिकारी धामपुर			
8	बाल विकास परियोजना अधिकारी कोतवाली			
9	बाल विकास परियोजना अधिकारी स्योहारा			
10	बाल विकास परियोजना अधिकारी नजीबाबाद			
11	बाल विकास परियोजना अधिकारी अफजलगढ़			
12	बाल विकास परियोजना अधिकारी जलीलपुर			
13	बाल विकास परियोजना अधिकारी किरतपुर			

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बिजनौर।